उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–72/2019–20

इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी0एस0सिटी, बोकारो

बनाम्

M/S DEEPAK ENGINEERING

–: **आदेश** :–

23.12.2020

प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी0एस0सिटी बोकारो द्वारा धारा 14 **(1 and 2)** OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी 1. **M/S Deepak Engineering** प्रो0 रमेश सिंह पिता बिन्दा सिंह 2. मनोरमा देवी पिता रमेश सिंह एवं 3. राजू सिंह पिता श्री रमेश सिंह सभी सा0–गुजरात कॉलोनी, नियर धर्मशाला, चास बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी0एस0सिटी, बोकारो की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Khata No. 198 Plot no. 6820 Mouza-Chas (30) Thana Chas, Anchal- Chas Bokaro, Area-05 dec. pertaining to Regd. Sale deed no. 6300 dated 08-05-1982 executed in favour of Smt. Manorama Devi at DSR Bokaro.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रूपये 30,00,000.00 (तीस लाख) ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋृण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–25.09.2019 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। वर्तमान में ऋणकर्त्ता पर कुल रूपये 31,20,039/– एवं ब्याज के साथ अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। अतः उन्होंने SARFAESI ACT–2002 की धारा 14 (1 and 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भगं नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि उन्होंने व्यवसाय हेतु ऋण लिया था किन्तु उनका व्यवसाय ठीक से नहीं चला, जिसके कारण वह ऋण की राशि को समय पर नहीं लौटा पाये और उनका खाता एन0पी0ए0 हो गया। वर्तमान में विपक्षी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वह अपना ऋण खाता को समझौता के तहत ऋण की राशि जमा कर समाप्त करना चाहते है। उन्होंने ऋण चुकाने हेतु कुछ और समय की माँग की है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि बैंक द्वारा SARFAESI ACT की धारा–13(4) के अन्तर्गत दिनांक–26.12.2019 को निर्गत नोटिस को निरस्त करने हेतु डी0आर0टी0 राँची में भी वाद दायर किया गया है, जो अभी विचाराधीन है। जब तक माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है तब तक आगे की कार्यवाही नहीं करने का अनुरोध किया है।

दोनो पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि द्वितीय पक्ष (ऋणकर्त्ता) समझौता के तहत ऋण चुकाना चाहते है जिसके लिए उन्होंने कुछ और समय की माँग की है। ऐसे में उनके अनुरोध पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें ऋण चुकाने के लिए एक अंतिम अवसर के रूप में **माह जनवरी–2021 तक का समय आदेश निर्गत की तिथि से** दिया जाता है। उक्त अवधि में यदि ऋणकर्त्ता, ऋण चुकाने में असफल होते है तो SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें। जहाँ तक मान्नीय न्यायालय, डी0आर0टी0, रॉची में वाद के लंबित रहने की बात है, वह इस न्यायालय के SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) से कोई संबंध नहीं रखता है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।